

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA

पोत परिवहन मंत्रालय / MINISTRY OF SHIPPING

नौवहन महानिदेशालय / DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING

टेलीफोन: 91-22-25752040/1/2/3 फैक्स: 022-25752029/35

"बिटा बिल्डिंग", 9 वी मंजिल / "BETA BUILDING", 9th FLOOR Tele: 91-22-25752040/1/2/3 आय-थिंक टेक्नो कॅम्पस / I-THINK TECHNO CAMPUS

Fax:022-25752029/35

Dated: 26.03.2015

ई-मेल: dgship-dgs@nic.in वेब: www.dgshipping.gov.in

कांज़र मार्ग (ईस्ट) / KANJUR MARG(EAST) मंबई - 400 042 / MUMBAI - 400 042

E-mail: dgship-dgs@nic.in Web: www.dgshipping.gov.in

F. No. SD-13/POL (5)/09 Vol.II

Shipping Development Circular No.02 of 2015

Sub: Amendments to guidelines on chartering of Foreign Flag Dredgers issued vide SD Circular No. 02 of 2004, dated April, 16, 2004.

The guidelines on chartering of Foreign Flag Dredgers were issued vide SD Circular No. 02 of 2004, dated April, 16, 2004 [F. No. SD-13/POL(8)/2003] under the provisions Sub-Section (3) of Section 406 and sub-section (2) of Section 407 of the Merchant Shipping Act, 1958.

2. Sub Para (iii) of Paragraph 4 of the aforementioned circular states as below'

"The difference in the lowest quoted bid price between the technically qualified Indian flag dredger exercising the "right of first refusal" and the lowest rate quoted by the foreign flag dredger should not exceed 10%. In case the difference is more than 10%, the "right of first refusal" shall cease to exist".

- 3. A need has been felt to, review the aforesaid circular, keeping in view of the Govt's policy of strengthening and promoting the Indian shipping in a competitive framework.
- 4. Now therefore the Director General of Shipping in pursuance of the powers conferred on him in respect of the provisions of Sub-Section (3) of Section 406 and subsection (2) of Section 407 of the Merchant Shipping Act, 1958, makes the following amendment to the said SD Circular No. 01 of 2004;
 - 4.1. Sub Para (iii) of paragraph 4 of the said Circular stands deleted.
- 5. This amendment to the said circular will come into force from the date of issue of this circular.
- 6. This issues with the approval of the Director General of Shipping & ex-officio Additional Secretary to the Government of India.

Assistant Director General of Shipping [SD]

To;

- 1. All the stakeholders through DGS website.
- 2. Indian National Ship-owners Association [INSA], Mumbai



भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पोत परिवहन मंत्रालय / MINISTRY OF SHIPPING
नौवहन महानिदेशालय / DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING
बिटा बिल्डिंग", 9 वी मंजिल / "BETA BUILDING", 9th FLOOR
आय-थिंक टेक्नो कॅम्पस / I-THINK TECHNO CAMPUS
कांजुर मार्ग (ईस्ट) / KANJUR MARG (EAST)
मंबई - 400 042 / MUMBAI - 400 042

Tele: 022 - 25752040/1/2/3
Fax: 022 - 25752029/35
E-mail: dgship@dgshipping.com

Web: www.dgshipping.com

दिनांक : 26.03.2015

टेलीफोन: 022 – 25752040/1/2/3 फैक्स: 022 – 25752029/35 ई-मेल: dgship@dgshipping.com वेब. www.dgshipping.com

सं. एसडी-13/पीओएल(5)/09-॥

वर्ष 2015 का नौवहन विकास परिपन्न सं. - 02

दिनांक : दिनांक 16 अप्रैल. 2004 के नौवहन विकास परिपत्र क्र. - 02 के अनुसार जारी किए गए विदेशी ध्वज ड्रेजर की स्वीकृति हेतु मार्गदर्शी सिद्धांतों का संशोधन ।

वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम 1958, की धारा 406 की उपधारा (3) और धारा 407 की उपधारा (2) फाईल संख्या-एसडी-13/पीओएल(8)/2003] के प्रावधानों के अंगर्गत दिनांक 14 अप्रैल, 2004 को वर्ष 2004 के नौवहन विकास परिपत्र सं. - 02 के माध्यम से इस महानिदेशालय द्वारा विदेशी ध्वज ड्रेजर हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत को जारी किए गए थे।

- 2. पूर्वलिखित परिपत्र के परिच्छेद 4 के उप परिच्छेद (iii) में निम्नानुसार उल्लेख है
- "पहले इनकार करने का अधिकार प्रयोग में लाने वाले भारतीय ध्वज ड्रेजेर और विदेशी ध्वज ड्रेजेर द्वारा उद्धृत न्यूनतम दर के बीच बोली की कीमत में भिन्न्ता 10% तक सीमित होगी। यदि भिन्नता 10% से अधिक है तो पहले इनकार करने का अधिकार समाप्त हो जाएगा"
- 3. प्रतियोगी कार्यरत ढांचे में भारतीय नौवहन को सशक्त और सुदृढ़ीकरण करने की सरकार की नीति को दृष्टिगत रखते हुए इस बात की आवश्यकता समझी है गई है कि पूर्वलिखित परिपत्र की समीक्षा की जाए.
- 4. इसलिए अब नौवहन महानिदेशक वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 406 की उपधारा (3) और धारा 407 की उपधारा (3) और धारा 4 की उपधारा (2) के प्रावधानों के संबंध में उन्हें प्रदत शक्तियों के अनुसरण में वर्ष 2004 के उक्त नौवहन विकास परिपत्र संख्या 02 में निम्नलिखित संशोधन करते है ;
- 4.1 उक्त परिपत्र के परिच्छेद 4 के उपपरिच्छेद (iii) को हटाया जाता है।
- 5. उक्त परिपत्र में यह संशोधन इस परिपत्र के जारी होने की तारीख से प्रवृत होगा।
- 6. इसे नौवहन महानिदेशक एवं पदेन अपर सचिव, भारत सरकार के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(आश मिहम्मद)

सहायक नौवहन महानिदेशक (एसडी)

सेवा में.

- 1. डीजीएस वेबसाईट के माध्यम से सभी हिताधिकारी।
- 2. इन्सा, मुंबई।